न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/34/2021 दायर दिनांक 03.09.2021

उनवान

1. मुकेश पिता कैलाशगिरी जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. राजू पिता कैलाशगिरी जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. विष्णु पिता कैलाशगिरी जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. कृष्णा पुत्री कैलाशगिरी जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. विक्रम पिता शिवगिरी जाति गुसाई आयु नाबालिग बविलायत माता मन्जु पत्नी शिवगिरी गुसाई आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
6. सुनिल पिता शिवगिरी जाति गुसाई आयु नाबालिग बविलायत माता मन्जु पत्नी शिवगिरी गुसाई आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशगिरी पिता रूपगिरी जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. शिवगिरी पिता रूपगिरी जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. अणछाई पत्नी रूपगिरी जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी पीपलखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

——अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 :—

बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 07.11.2024

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पीपलखेडी पटवार हल्का करूंकडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं0 21 से दर्ज आराजी सं0 1001/386 रकबा 0.15 हैक्टर, आ०स० 1002/977 रकबा 0.02 हैक्टर, आ०स० 1003/397 रकबा 0.04 हैक्टर, आ०स० 387 रकबा 1.60 हैक्टर, आ०स० 388 रकबा 0.03 हैक्टर आ.चा., आ०स० 390 रकबा 0.63 हैक्टर, आ०सं० 800 रकबा 1.16 हैक्टर, आ०स० 803 रकबा 0.52 हैक्टर, आ०स० 804 रकबा 0.39 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 4.54 हैक्टर स्थित है। जो उक्त आराजीयात हम प्रार्थीगण की मौरूसी मिल्कीयत की होकर हम प्रार्थीगण का हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थनापत्र के साथ साबीक जमाबन्दी मिलानसीट व हाल जमाबन्दी सलंग्न है।

यह कि उक्त आराजीयात हम प्रार्थीगण की मौरूसी मिल्कीयत की होकर हम प्रार्थीगण अप्रार्थी सं० 1 व 2 के पुत्र व पुत्रीयां है व अप्रार्थी सं0 3 हमारी दादी लगती है इस कारण हमारा पैदाईशी हक बनता है पहले हेमगिरी गुसाई के खाते दर्ज थी हेमगिरी जी के दो पुत्र रूपगर, शंकरगर व चार पुत्रीयां केशर, सोहनी, लक्ष्मी व दाखी है प्रत्येक का उक्त आराजीयात में 1/6 हिस्सा बनता है व चारो पुत्रीयां ससुराल मे रहने के कारण पूर्व में अपने दोनो भाईयो के पक्ष शंकरगर व रूपगर के हक में उनका हिस्सा छोड दिया इस कारण दोनो भाईयो के नाम इन्तकाल खुला व दोनो भाईयो ने बंटवाडे का दावा कर अपना अपना हिस्सा अलग अलग खाते करवा लिया।

यह कि प्रार्थनापत्र की कालम दो मे वर्णित आराजीयात रूपगर जी के पुत्र कैलाशगिरी व शिवगिरी के खाते दर्ज है उनकी बहीनो ने भी उनका हिस्सा दोनो भाईयो के पक्ष मे हकतर्क कर दिया जो आराजीयात वाद कालम दो मे वर्णित है। उक्त आराजीयात को कैलाशगिरी व शिवगिरी दोनो भाई प्रार्थीगण को उनके हिस्से से महरूम करने के लिये रहन, बह, खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जिसमें प्रार्थीगण सं0 1 से लगायत 3 व मूल वाद के प्रतिवादी सं0 4 से 6 का हक व हिस्सा निहित है। इस कारण प्रार्थीगण सं० एक से लगायत छः को उनके पिता अप्रार्थी सं0 1 कैलाश, अप्रार्थी सं0 2 शिवगिरी व अप्रार्थी सं0 3 दादी अणछाई के हिस्से में संयुक्त खातेदार काश्तकार हिस्से अनुसार घोषित किया जावे। व उक्त आराजीयात में मूल वाद के प्रतिवादी सं0 4 से लगायत 7 ने पूर्व में अपना हिस्सा भाईयो के पक्ष मे छोड दिया है मगर अब हिस्सा लेना चाहती है इस कारण दोनो भाईयों रूपगर व शंकरगिरी ने जमीन का बंटवाडा कर लिया है इस कारण बहीनो का आधा हिस्सा ही रूपगिरी जी के पास रहा है जिसमें मूल वाद के प्रतिवादीगण सं0 4 से लगायत 7 तक के संयुक्त खातेदार काश्तकार हिस्से अनुसार घोषित किया जावे।

यह कि प्रार्थनापत्र की कालम दो में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त मे है जो उसमे से अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 प्रार्थीगण को संयुक्त कब्जे से बेदखल नही करे, रहन बह, बक्सीस, वसीयत, गौद व मुन्तकील नही करे, बैंक लोन नही लेवे व अप्रार्थी सं0 4 पंजीयन कर इन्तकाल नही खोले व नाम पर नही करें, इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्ययक है। यह कि प्रकरण मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे है व सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

यह कि दिनांक 01.08.2021 को अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात को रहन बह करने व संयुक्त कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी जिससे उक्त दिनांक 01.08.2021 से बिनाय प्रार्थनापत्र पैदा होकर निरन्तर जारी है ।

अन्त में प्रार्थना की कि –

– पक्ष प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश इस अमर का जारी फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की कालम दो में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त में है जिसमें अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 प्रार्थीगण को संयुक्त कब्जे से बेदखल नही करे, रहन बह, बक्सीस, वसीयत, गौद व मुन्तकील नही करे, बैंक लोन नही लेवे व अप्रार्थी सं0 4 पंजीयन कर इन्तकाल नही खोले व नाम पर नही करें जिससे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना फरमावे।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 05.07.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस एकतरफा सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि विवादीत आराजीयात मौरूसी मिल्कीयत की है। जिस पर हमारा पैदायशी हक बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उक्त आराजीयात को बेचान करने पर आमादा है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा आराजी मौरूसी होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है, साथ ही दर्ज अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसको उपयोग उपभोग से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है, अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official